ग्राम आपदा प्रबन्धन की योजना निर्माण प्रक्रिया

चादर पर बने गाँव के सामाजिक मानचित्र, संसाधन व सुविधा मानचित्र को देखते हुए ग्राम-बथनहा निवासिनी श्रीमती सावित्री देवी ने कहा कि पूरे गाँव की बसाहट व आपदा जोखिम प्रभावित क्षेत्र की समझ स्पष्ट हो रही है।

ग्राम आपदा प्रबन्धन कार्य योजना का निर्माण

उपरोक्त सूचनाओं व आकड़ों, तथ्यों के आधार ग्रामीणों व पंचायत प्रतिनिधियों से चर्चा व विचार–विमर्श करके सहभागी तरीके से सुरक्षित ग्राम के तहत ग्राम आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण किया गया है। जिसमे आपदा व आपदा जोखिम की पहचान, जोखिम के कारण, प्रभावित स्थान, निदान व किये जाने वाले गतिविधियां/ कार्य, प्रकृति आधारित संसाधन व सम्बंधित योजना, कार्यक्रमों, विभाग व समय सीमा आदि की विस्तृत सूचना संकलित की गई है। ग्राम आपदा प्रबंधन योजना निर्माण की कार्य योजना बनने के पश्चात ग्राम स्तर पर समुदाय, पंचायत प्रतिनिधियों, अध्यापक, आंगनवाड़ी सहायिका आदि की उपस्थिति में साझाकरण किया गया। समुदाय व पंचायत से आये सुझावों को शामिल कर एक पूर्ण ग्राम आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण पूरा हुआ। मौसम पूर्वानुमान व कृषि सामायिक गतिविधियों आदि पर विशेष सूचना किसानों को 5 दिनों के अंतराल पर हमेशा उपलब्ध कराई जाती है।

जलवायु परिवर्तन व आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु आरम्भ की गई गतिविधियाँ

प्रकृति आधारित समाधान/ गतिविधियाँ

- जलाशय क्षेत्रों की साफ-सफाई एवं गहरा करना
- जल निकास तंत्र की साफ-सफाई एवं सुदृढ़ीकरण
- बांधों का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण
- बांधों के किनारे वृक्षारोपण
- नदी-नालों के तलहटी से सिल्ट निकालना
- गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करना

खेती-किसानी सम्बन्धित गतिविधियाँ

- आघात सहन करने वाली प्रजातियों का प्रोत्साहन एवं बीज बैंक का निर्माण
- बाढ़ उत्थानशील खेती का प्रदर्शन आयोजित करना
- मेड़बंदी सुदृढ़ीकरण
- फसल एवं पशु बीमा को प्रोत्साहित करना
- कैच क्रॉप (तिल, मूंगफली, उर्दू, मूंग आदि) को प्रोत्साहित करना
- मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि परामर्श संदेश प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना
- पशुओं के नियमित टीकाकरण हेतु कैंप
- पशुओं के लिए कृमि नाशक दवाओं का वितरण

क्षमता विकास सम्बन्धित गतिविधियाँ

- बाढ़ उत्थानशील खेती पर उन्मुखीकरण/ प्रशिक्षण
- पशु प्रबन्धन पर प्रशिक्षण
- अजोला एवं साइलेज निर्माण का प्रशिक्षण
- ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति का उन्मुखीकरण
- जैविक खादों व कीटनाशकों के निर्माण हेतु प्रशिक्षण

ग्राम स्तर सम्बन्धित गतिविधियाँ

- जल निकास तंत्र का सुदृढ़ीकरण
- इण्डिया मार्क पम्प/ पेयजल स्रोतों का उच्चीकरण
- शौचालय का उच्चीकरण
- आवास के चारों ओर उच्चीकरण का कार्य
- ऊँचा आश्रय स्थल/शरणालय का निर्माण
- खेतों की मेड़ों व ग्राम सभा व सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षोरापण
- चारा बैंक की स्थापना
- समयानुसार दवाओं का छिड़काव
- प्राकृतिक संसाधनों को अतिक्रमण मुक्त करना

The Asia Foundation
Improving Lives, Expanding Opportunities

Gorakhpur Environmental Action Group

बिहार राज्य आपदाओं की दृष्टिकोण से एक अति संवेदनशील राज्य है जो बाढ़, सुखाड़, भूकम्प, आगलगी, ठनका, चक्रवात, लू व शीतलहर जैसी आपदाओं से प्रभावित रहता है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 73 प्रतिशत भाग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आने की संभावना प्रबल रहती है। यहां की 76 प्रतिशत आबादी बाढ़ के खतरों के चपेट में रहती है। राज्य के 38 जनपदों में से 28–30 जिलों के हजारों गाँव प्रतिवर्ष बाढ़ का दंश झेलते हैं। इन आपदाओं से कृषि, पशुपालन, मजदूरी एवं कृषि पर आधारित आजीविका व लोग प्रभावित होते हैं। आजीविका एवं रोजगार हेतु मुख्यतः पुरूष वर्ग बड़ी संख्या में पलायन करते हैं। आपदाओं से गाँव का विकास व आवश्यक सेवाएं बाधित होती हैं। जलवायु परिवर्तन और आपदा के दूरगामी प्रभावों से निपटने हेतु बिहार सरकार द्वारा 2004 से आपदा न्यूनीकरण की दिशा में कार्य करना प्रारम्भ किया गया है।

जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन के कारण बिहार में मौसम पद्धति तेजी से बदल रहा है। तापमान में वृद्धि, असमय व असमान वर्षा, अधिक वर्षा, ठण्ड एवं शीतलहर का होना, आर्द्रता का अधिक होना आदि से किसानों की आजीविका व कृषि प्रभावित हो रही है। मौसम परिवर्तन के कुप्रभावों से लगातार फसलों के प्रभावित होने से उपज में कमी, फसल की गुणवत्ता में कमी, खेतों व गाँवों के आस–पास जल–जमाव व जल वाहक जनित बीमारियों आदि चुनौतियों से किसान का सामना आये दिन हो रहा है।

बिहार राज्य के 3 कृषि जलवायु क्षेत्र के 534 प्रखण्ड की ग्राम पंचायतें, जलवायु परिवर्तन व आपदा जोखिम के कुप्रभावों से निपटने हेतु समुदाय व ग्राम पंचायतों को सहयोग से सशक्त एवं सुरक्षित ग्राम आपदा प्रबन्धन नियोजन के तरफ अग्रसर हैं।

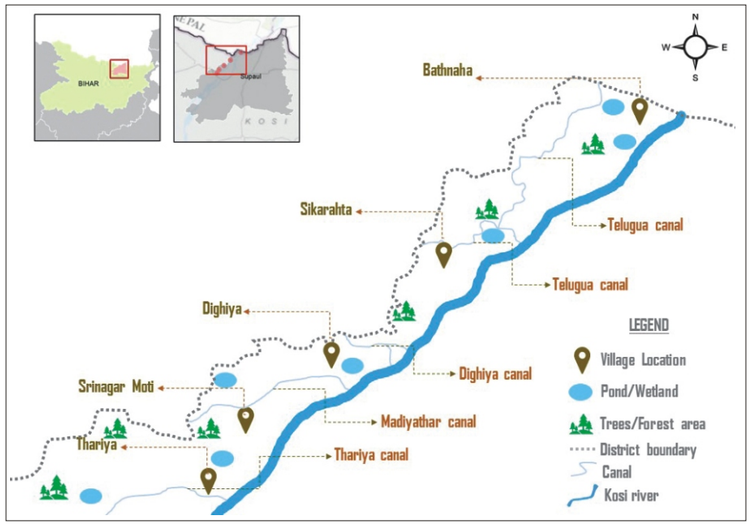

जलवायु परिवर्तन व बिहार राज्य

बिहार राज्य में अधिकांशतः छोटे व सीमान्त किसान हैं जो खेती किसानी के काम में व्यस्त रहते हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव खेती, मछली पालन, पशुपालन आदि क्षेत्रों पर पड़ रहा है।

इसके अतिरिक्त स्वच्छ पेयजल की अनुपलब्धता, पोषण, स्वास्थ्य व शिक्षण सेवाएं आदि भी प्रभावित हो रही है।

- जनवरी 2017 के जनरल क्लाइमेट में प्रकाशित एक रिसर्च पेपर के अनुसार जलवायु परिवर्तन ने बाढ़ की विभीषिका का बढ़ाया है।
- कम समय में सामान्य वर्षा न होकर तूफानी वर्षा की प्रवृत्ति बढ़ रही है जिसके परिणामस्वरूप बाढ़ का खतरा बढ़ा है।
- 2008, 2011, 2013, 2015, 2017 और 2019 में भीषण बाढ़ से जन–जीवन अस्त–व्यस्त हुआ है।
- बाढ़, ठनका, लू, आदि से आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर जनसंख्या अधिक प्रभावित हो रही है।
- जलवायु परिवर्तन से समृद्ध जैव विविधता प्रभावित हो रही है, साथ ही मानव जीवन प्रभावित हो रहा है।
- राज्य में सूखा का दायरा बढ़ा है। इस साल बिहार में अभी तक 20 जिलों में 40 फीसदी वर्षा कम हुई है। पूरे राज्य में अभी तक 263 mm की जगह 191 mm वर्षा हुई है।
- बिहार पानी की समस्या से अधिक ग्रसित हैं। कहीं बाढ़ प्रभावित है तो कहीं सूखा प्रभावित है।
- इण्डियन इन्स्टच्यूट आफ टेक्नॉलाजी, (आई.आई.टी.) के एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से सर्वाधिक प्रभावित भारत के 50 जनपदों में से 15 जनपद बिहार के हैं।*
- 38 जनपदों में से 27 जनपद तेज हवाओं से अधिक प्रभावित हैं।
- जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य में मौसम का कुप्रभाव चरम पर होता है। चाहे वह बाढ हो या सूखा हो।

जलवायु परिवर्तन व आपदा जोखिम न्यूनीकरण क्यों?

जलवायु परिवर्तन व आपदा जोखिम न्यूनीकरण निरंतर, सुनियोजित एवं सहभागी तरीके से नियोजन की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्षेत्र विशेष से सम्बंधित खतरों व आपदाओं को पहचानने, उन्हें विश्लेषित करने की क्षमता विकसित होती है, जिसके परिणामस्वरुप आपदाओं के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है।

खतरे प्राकृतिक होते हैं, खतरों के प्रभाव को रोका नहीं जा सकता है, बल्कि इनके प्रभावों को नियोजित एवं सहभागी तरीके से कम करके गांव, संसाधन व सुविधाओं को सुरक्षित किया जा सकता है।

सुरक्षित ग्राम

सुरक्षित ग्राम कार्यक्रम बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (2015–2030) का एक प्रभावी व प्रथम स्तम्भ है। जिसके अंतर्गत सुरक्षित गांव की अवधारणा विकसित की गई है। अर्थात ग्रामवासियों में जलवायु जनित आपदाओं एवं उनसे होने वाले जोखिमों की समझ विकसित हो, उपलब्ध मानव भौतिक व प्राकृतिक संसाधनों की क्षमता व दक्षता का उपयोग करते हुए सुरक्षित ग्राम आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण व संचालन हो।

ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना विकास प्रक्रिया

जलवायु परिवर्तन व आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (2015–2030) फ्रेमवर्क के परिपेक्ष्य में बिहार सरकार द्वारा 15 वर्षों के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया, जिसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन व आपदा जोखिम से बिहार राज्य को सुरक्षित बनाने हेतु कार्ययोजना विकसित की गयी, जिसके अंतर्गत "सुरक्षित गाँव" की संकल्पना पूरे बिहार राज्य के लिए की गई है। जलवायु परिवर्तन व आपदा जोखिम , न्यूनीकरण के तहत "सुरक्षित गाँव"

*स्रोत : "जलवायु परिवर्तन की चपेट में बिहार, लेकिन बचाव का कोई एक्शन प्लान नहीं" द्वारा रोहित कुमार प्रकाशित MONGABAY/प्रकृति से प्रेरित समाचार 19 मई 2021

कार्यक्रम के अंतर्गत कोसी बेसिन क्षेत्र जनपद–सुपौल के निर्मली प्रखंड के 5 गांवों (बथनहा, सिकरहट्टा/चुटियाही, दिघिया, बेला श्रृंगार मोती एवं थरिया) का चयन पायलट परियोजना अंतर्गत "ग्राम आपदा प्रबंधन योजना" के निर्माण हेतु किया गया है। पूर्व निर्धारित तिथि के आधार पर ग्राम में खुली बैठक का आयोजन कर एक तय समय सीमा के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में समुदाय व पंचायत की सक्रिय सहभागिता से निम्नवत प्रक्रिया संचालित की गई है–

क्र०सं०	प्रक्रिया	गतिविधि
1.	ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति का गठन एवं क्षमता विकास	ग्राम स्तर पर पंचायत प्रतिनिधियों व समुदाय की सहभागिता से ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति का गठन किया गया, इन सदस्यों का जलवायु परिवर्तन व आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विभिन्न पहलूओं जैसे-जलवायु परिवर्तन के कारण, प्रभाव, जोखिम एवं उनसे बचाव हेतु स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता व उनके रोकथाम हेतु किये जाने वाले कार्य एवं गतिविधियों से सम्बन्धित उन्मुखीकरण किया गया।
2.	ग्राम की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर समझ एवं विश्लेषण	समुदाय की सहभागिता से सम्बन्धित गाँव का सामाजिक मानचित्रण कपड़े पर बनाया गया, गाँव में उपलब्ध प्राकृतिक, भौतिक संसाधनों, सुविधाओं, आजीविका के साधन की पहचान, प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों का संकलन, विश्लेषण कर सम्बन्धित गाँव की आख्या तैयार की गई।
3.	खतरा जोखिम, नाजुकता व क्षमता का आकलन	सम्बन्धित गाँव को प्रभावित करने वाली आपदा एवं जोखिम की पहचान, आपदाओं का इतिहास, आपदा प्रभावित क्षेत्र, संसाधन, सुविधाओं, नाजुक समुदाय वर्ग की पहचान, आपदाओं से सम्बन्धित मौसमी कैलेण्डर अर्थात् किस माह में कौन सी आपदा अधिक प्रभावित करती है आदि का विवरण तैयार किया गया।
4.	नाजुकता अति संवेदनशील मानचित्रण	जलवायु परिवर्तन व आपदा जोखिम से प्रभावित आजीविका के साधन व संसाधन एवं सम्बन्धित कैलेण्डर का विस्तृत विवरण एवं विश्लेषण किया गया। इस प्रक्रिया के तहत यह जानकारी प्राप्त हुई कि किस माह में आजीविका के साधन सर्वाधिक प्रभावित होते हैं।
5.	आपदा जोखिम प्रोफाइल का निर्माण	सहभागी विधियों व पीआरए टूल्स के माध्यम से जलवायु परिवर्तन व आपदा जोखिम से प्रभावित गाँव की बुनियादी आधारभूत संरचनाएं एवं सुविधाएं जैसे-सुरक्षित प्रसव, पेयजल, स्वच्छता, आजीविका, कृषि, पशुपालन, मजदूरी व अन्य रोजगार से सम्बन्धित सूचनाओं का संकलन व विश्लेषण किया गया।
6.	संसाधन मानचित्रण	गाँव, वार्ड उपलब्ध भौतिक, मानवीय एवं पर्यावरणीय संसाधनों, सुविधाओं की सूची इनकी उपलब्धता व दूरी, आश्रय स्थल एवं ऊँचे स्थान की सूची बनाकर समुदाय के साथ साझा किया गया।